न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 32 / 18–19

पप्पु मंडल बनाम् रैयान मौजा–भगैया

–: आदेश :–

08.12.2020

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु इस मूल वाद अभिलेख अंतर्गत ठाकुरगंगटी अंचल, मौजा–भगैया, नं0–149 के कुल चार आवेदन प्राप्त है :–

1. पप्पु मंडल, पे0–धरमचन्द मंडल, सा0–भगैया।
2. कमला प्र0 मंडल, पे0–गोवर्द्धन मंडल, सा0–भगैया।
3. बमबम कु0 मंडल, पे0–हुलेश मंडल, सा0–भगैया।
4. घनश्याम मंडल, पे0–कमला प्र0 मंडल, सा0–भगैया।

अभिलेख अंतर्गत पूर्व में की गई कार्यवाही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस अभिलेख के अंतर्गत प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आरंभ की गई थी और दिनांक–04.02.2008 में अधिनियम की धारा–5 के अतर्गत प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई के संबंध में आदेश पारित किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी पप्पू मंडल के द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–31 / 2008–09 दायर किया गया। इस अपील वाद में विज्ञ उपायुक्त के द्वारा दिनांक–11.10.2012 को पारित आदेश में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए यह निदेश दिया गया कि अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार को प्रधान नियुक्त करने की कार्रवाई की जाय। उक्त वाद के अनुपालन में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् कमला प्र0 मंडल, पे0–गोवर्द्धन मंडल, सा0–भगैया को मौजा–भगैया नं0–149 का प्रधान नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–08.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी पप्पू मंडल के द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–27 / 2013–14 दायर किया गया। इस अपील वाद में विज्ञ उपायुक्त के द्वारा दिनांक–11.12.2018 को पारित आदेश में विपक्षी कमला प्र0 मंडल को आपराधिक प्रवृत्ति के कारण प्रधानी नियुक्ति को रद्द करते हुए सही उम्मीदवार को प्रधान नियुक्त करने का निदेश दिया गया है।

विज्ञ उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक सं0–01 पप्पु मंडल एवं आवेदक सं0–04 घनश्याम मंडल के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

प्रथम आवेदक पप्पु मंडल के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा के अंतिम प्रधान जैराम मंडल थे और इनकी नियुक्ति गेंजर सर्वे के पूर्व हुई थी। जैराम मंडल के पूर्व उनके पिता अमृत मंडल मौजा के प्रधान थे। जैराम मंडल की मृत्यु हो जाने के बाद मौजा–खास वसूली के अंतर्गत आ गया। उनके तीन पुत्रों में से सतनु मंडल के पौत्र पप्पु मंडल (आवेदक) हैं। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में कि0मि0 केस नं0–01 / 1899 (फुलचन्द किश्चन बनाम ग्राम रैयत भगैया) की कार्यवाही के कम में दिये गये एक बयान में स्वीकार किया गया है कि मौजा में लगभग 109 वर्ष पूर्व जैराम मंडल प्रधान हुआ करते थे। इस प्रकार आवेदक पप्पु मंडल का संबंध मौजा के पूर्व प्रधान से स्थापित है और उनकी स्वीकार्यता / योग्यता के विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन या 16आना रैयान की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। आवेदक सं0–04 घनश्याम मंडल के बारे में तर्क दिया गया है कि वे भूतपूर्व प्रधान के वंशज से नहीं है। इस आलोक में विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पप्पु मंडल को प्रधान नियुक्त किये जाने का आग्रह किया गया है। साथ ही उपायुक्त के न्यायालय में घनश्याम मंडल पक्षकार नहीं रहने के आधार पर उनके आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

F/Order.

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भगैया एक प्रधानी मौजा है। उपायुक्त के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–27/2013–14 में मात्र एक पक्षकार पप्पु मंडल, पे0–धरमचन्द मंडल, सा0–भगैया ही प्रधान नियुक्ति के दावेदार हैं। घनश्याम मंडल, पे0–कमला प्र0 मंडल, सा0–भगैया द्वारा विज्ञ उपायुक्त के निर्णय के बाद आवेदन दिया गया है। अतएव् घनश्याम मंडल, पे0–कमला प्र0 मंडल, सा0–भगैया के आवेदन को खारिज किया जाता है। उपायुक्त के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–27/2013–14 में दिनांक–11.12.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् आवेदक पप्पु मंडल, पे0–धरमचन्द मंडल, सा0–भगैया को मौजा–भगैया नं0–149 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

08/12/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

08/12/20

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.